

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
मुन्तकिली प्रकरण संख्या 149 / 2022 (GCMS : 2022/253)

1. जसपाल सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी 36 आरबी-बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

– प्रार्थी

बनाम

1. राजभूपेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह जाति जटसिख निवासी 36 आरबी-बी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर
2. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार राजस्व पदमपुर

– अप्रार्थीगण


09.11.2022



प्रार्थी के अधिवक्ता श्री रजत कुमार राणा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने कथन किया कि उनके द्वारा उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 264 / 2022 अनवानी राजभूपेन्द्र सिंह बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट व 88 आरटीएक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात् फलहीन हो गया है, अतः इसे खारिज किया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।


मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 264 / 2022 अनवानी राजभूपेन्द्र सिंह बनाम सरकार अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट व 88 आरटीएक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर, प्रकरण को


जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया था। अब चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तर्तीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 09.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सौरभ स्वामी)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर